10.10.2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खाता

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

सं0 7 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम देवाराम के स्थान पर उदाराम सहवन गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जावें। वादीगण ने वादपत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है जिनमें वादीगण के पिता का नाम देवाराम अंकित है। वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं के तथा गवाहान श्री फूलचन्द पुत्र श्री मांगूराम जाति जाट निवासी राणासर नीमकाथाना तथा श्री पवन पुत्र श्री मामचन्द जाति जाट निवासी राणासर तहसील नीमकाथाना के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। जिरह शून्य रही। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के पिता का नाम उदाराम सहवन गलत दर्ज है जबकि वादीगण के पिता का सही नाम देवाराम है जिसकी पुष्टि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि की प्रतियों से होती है। वादीगण के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाड़ी स्थित भूमि खाता सं0 7 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण 1 ता 7 के पिता का नाम **उदाराम** के स्थान पर **देवाराम** दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)